न्यायालयः– अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मकराना, जिला डीडवाना–कुचामन

पीठासीन अधिकारी :– रूपेन्द्र चौहान, आर.जे.एस.
नियमित अपराधिक प्रकरण संख्या :– 313/2017
सी.आई.एस.सं. :– 313/2017

राजस्थान राज्य

–अभियोगी

बनाम

सुरेश पुत्र आसाराम उम्र 32 वर्ष निवासी पीरासिया की ढाणी सरहद बोरावड़ पीएस मकराना जिला डीडवाना कुचामन।

–अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत धारा 323, 341, 435, 379, 354 बी भारतीय दंड संहिता

उपस्थिति:–
1. राज्य की ओर से :– विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी अनुपस्थित।
2. अभियुक्त की ओर से :– विद्वान अधिवक्ता श्री राजूराम चौधरी।

–::निर्णय::– **दिनांकः–09.04.2026**

1. प्रकरण के संक्षेप में सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि तारीख 17.03.2017 प्रार्थी प्रदीप पूरी पुत्र मदनपूरी जाति गोस्वामी ब्राहम्ण 22 वर्ष निवासी गुजरिया बास बोरावड़ ने उपस्थित थाना होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की दिनाक 17.03.2017 उसकी पत्नी के साथ बिल्लू की तरफ जा रहा था की पिछे से सुरेश जाट पिरासिया की ढाणी निवासी अपने तीन चार साथियों के साथ आया और मोटरसाइकिल रूका कर उसकी पत्नी पूजा देवी को छेड़ना शुरू कर दिया और उसके कपड़े खींच कर फाड़ दिया उसे अर्ध नग्न करके नीचे पटक दिया उसने बचाने के लिए विरोध किया तो उसने अपने साथियों सहित उस पर ताबड़तोड़ हमला कर उसे लाठी मुक्को तथा पत्थर से मार कर पूरी तरह जख्मी कर दिया तथा उसके सामने उसकी पत्नी की बुरी तरह बेइज्ज़ती की और किसी को आता देख कर वहां से भाग गये। उससे पहले भी यह आदमी सुरेश उसकी पत्नी को घर पर मोबाइल पर फोन करता कभी उसकी मम्मी के फोन पर तो कभी उसके फोन पर फोन करता और बुरी बुरी गालियां फोन पर निकलता था उसने एसा करने पर कहीं बार मना किया और समझाया भी लेकिन नहीं माना सुरेश के दोस्तों ने उसे पकड लिया वह सुरेश ने उसके साथ मारपीट की और उसकी मोटरसाइकिल सुरेश तथा सुरेश के साथी छीन कर भाग–गए......इत्यादि।

2. उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना मकराना द्वारा प्रकरण संख्या 104/2017 अंतर्गत धारा 341, 143, 323, 354B, 427, 379 भादस में दर्ज कर बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध धारा 323, 341, 435, 379 भादस के तहत न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र पेश किया गया जिस पर न्यायालय द्वारा धारा 341, 143, 323, 354B, 427, 379 भादस में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

3. अभियुक्त को धारा 323, 341, 435, 379, 354 बी भादस का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया जिसे अभियुक्त ने सुन व समझ कर आरोप से इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

4. साक्ष्य अभियोजन में अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह पी.ड. 01 प्रदीप पूरी, पी.ड 02 गिरधारी, पी.ड. 03 पुसापुरी गोस्वामी, पी.ड. 04 सुनील पुरी, पी.ड. 05 पूजा कुमारी, पी.ड. 06 योगेन्द्र सिंह कच्छावा, पी.ड. 07 किशनपुरी गोस्वामी, पी.ड. 08 धर्मेन्द्र, पी.ड. 09 कुंभाराम, पी.ड. 10 आसाराम, पी.ड. 11 मुमताज, पी.ड. 12 बाबूलाल के बयान लेखबद्ध कराये गये तथा दस्तावेजी में रिपोर्ट प्रदर्श पी–1, चाक एफआईआर प्रदर्श पी 2, नक्शा मौका प्रदर्श पी 3, मोटरसाईकिल की फर्द निरीक्षण प्रदर्श 4, बयान 164 द.प्र.सं. प्रदर्श पी 5, चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 6, पुलिस बयान प्रदर्श पी 7, फर्द तस्दीक नक्शा मौका प्रदर्श पी 8, फर्द इतिल्ला 27 प्रदर्श पी 9, फोटोग्राफस प्रदर्श पी 11 लगायत 13, चैक लिस्ट प्रदर्श पी 14 को प्रदर्शित करवाया गया।

5. अभियुक्त का परीक्षण अन्तर्गत धारा 313 द.प्र.स. किया गया तो उसने अभियोजन साक्ष्य को गलत बताया तथा झूठा फंसाये जाने का कथन किया एवं साक्ष्य सफाई पेश करने से इंकार किया।

6. दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से यह तर्क दिये गये है कि प्रकरण में रिपोर्ट झूठी दर्ज करवायी गयी है। रिपोर्ट में एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध कारित किया जाना बताया गया है। जबकि आरोप पत्र केवल अभियुक्त सुरेश के विरूद्ध ही प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत रिपोर्ट एवं अभियोजन पक्ष की साक्ष्य से यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि मजरूब के चोट कहां पर आयी रिपोर्ट में परिवादी द्वारा स्वयं को ग्राम बिल्लू की तरफ जाना बताया गया है। जबकि साक्ष्य में बिल्लू के अतिरिक्त अन्य स्थान पर जाना बताया गया है। सुरेश व पूजा के मध्य पूर्व से बातचीत थी इस तथ्य को अभियोजन पक्ष की साक्ष्य में स्वीकार किया गया है। प्रकरण में स्वतंत्र गवाहन द्वारा अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन नहीं किया गया है एवं पक्षद्रोही घोषित हुये है। गवाह द्वारा दी गयी साक्ष्य में गंभीर विरोधाभास है एवं इन आधारों पर अभियुक्त को दोषमुक्त घोषित किये जाने की प्रार्थना की गयी। अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त तर्कों का खण्डन करते हुये यह कथन किये गये है कि प्रकरण में अभियोजन पक्ष की साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध को संदेह से परे साबित किया गया है व इन आधारों पर अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध घोषित किये जाने की प्रार्थना की गयी।

7. उभय पक्ष के तर्कों, तथ्यों पर विचार किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है किः–

(1) क्या अभियुक्त ने दिनांक 17.03.2017 को दोपहर वक्त 12.30 बजे के लगभग मौजा पिरासिया बेरा की ढाणी के पास आम रास्ते में परिवादी प्रदीप पुरी व उसकी पत्नी पूजा को मोटरसाईकिल पर जाते हुए रोककर सदोष अवरोध कारित किया व कुंदाले से मारपीट कर साधारण उपहति कारित की तथा पूजा को निर्वस्त्र करने के आशय से उसके कपडे फाड़ कर लज्जा भंग की व मोटरसाईकिल को चोरी कर नुकसान करने के आशय से अग्नि द्वारा जलाकर रिष्टि कारित की ?

(2) यदि हां तो समुचित दण्ड क्या होगा?

8. अभियोजन पक्ष की ओर से जो साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है, में गवाह पीडब्लयू–1 प्रदीप पुरी ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये है कि दिनाक 17.03.2017 की

बात है दिन में 12 बजे करीब वह और उसकी पत्नी पूजा मोटरसाईकिल से जा रहे थे पिरासिया की ढाणी के पास पहुंचे तो सामने से सुरेश जाट आ रहा था उसने उसकी मोटरसाईकिल रोक दी और चाबी निकाल ली और उसकी पत्नी पूजा को मोटरसाईकिल से नीचे खींच लिया और उसके साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया और उसके कपड़े फाड़ दिये उसने इसका विरोध किया तो उसने उसके उपर ताबड़ तोड़ मारपीट करना शुरू कर दिया। सामने से कुछ लोग आ रहे थे तो सुरेश में मोटरसाईकिल लेकर भाग गया। सुरेश ने पहले भी उसके साथ बदतमिजी की थी और वह उसकी पत्नी के पास फोन करता था और उसकी मां के पास भी फोन आता था और गाली गलोच करता था। उसने उसको समझाया भी था लेकिन वह नहीं समझा। जिसकी उसने थाने मे रिपोर्ट दर्ज कराई थी जो प्रदर्श पी–01 है जिस पर व कार्यवाही पुलिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। चाक एफ आई आर प्रदर्श पी–02 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस वालो ने उसके सामने घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया था जो प्रदर्श पी–03 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसकी चोटो का मेडीकल मुआयना हुआ था। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त ने कथन किया कि वह उस समय पिरासिया की ढाणी जा रहा था। वह पिरासीयां की ढाणी के नजदीक पहुंचा था। वह साथ उसकी पत्नी थी और कोई नहीं था और पीछे से उसके भाई गिरधारी और किशन आ रहे थे। गिरधारी और किशन घटना के 10–15 मिनट बाद पहुंचे थे। वह सुरेश को घटना से पहले जानता था। उसके और सुरेश के बीच कोई अनबन नही थी। सुरेश वगैरह तीन चार जने थे। सुरेश मोटरसाईकिल के सामने आकर खड़ा हुआ था इस कारण वह रूका था। रिपोर्ट प्रदर्श पी–01 उसके भाई ने लिखी थी जो उसने उसके भाई को बताया था उस प्रकार से रिपोर्ट लिखी थी। उसके साथ लाठी, मुक्को से, लातो से मारपीट की थी जो सुरेश ने अकेले में ही की थी। उसके मारपीट में चोट लगने से खून आया था। उसके चोट लगने से एक टांका भी आया था। उसके तीन जगह पर खून आया था। सुरेश ने मोटरसाईकिल रुकवाकर चाबी निकाली और उसकी पत्नी को मोटरसाईकिल से नीचे गिरा दिया और उसके साथ छेड़ छाड़ कर उसके कपडे फाड़ दिये थे उसके बाद उसने उसकी पत्नी को बचाया तो उसके साथ मारपीट करने लग गया और उसके बाद लोगो को आते देख यह उसकी मोटरसाईकिल लेकर भाग गया और उसकी मोटरसाईकिल को जला दिया था। वे मामडौली उसकी पत्नी के झाड़ा लगवाने के लिये जा रहे थे। यह कहना सही है कि आज से पहले उसके बयान नही हुए। लेकिन केवल मकराना पुलिस थाने पर उसके बयान हुऐ थे। पुलिस वालो ने घटना के दुसरे दिन घटना स्थल का नक्शा मौका देखा था। नक्शा मौका मे क्या लिखा था उसे पता नहीं है। नक्शा मौके पर उसके अलावा सुनिल, पूसा पूरी जी के हस्ताक्षर कराये थे। उसकी मोटरसाईकिल को बाद में पिरासिया की ढाणी से पुलिस वालो के साथ वे लेकर आये थे जो पूरी तरह से जली हुई थी। यह कहना गलत है कि सुरेश से उसकी पुरानी रंजीश हो इस कारण उसने यह मुकदमा सुरेश के खिलाफ झुठा दर्ज कराया हो।

9. गवाह पीडब्लयू–2 गिरधारी ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये है कि दिनांक 17.03.2017 की लगभग साढ़े बारह बजे के आसपास की बात है उसका छोटा भाई प्रदीप पूरी और उसकी पत्नी पूजा को उसने कहा था पूजा के झाड़ा दिलाने के लिये उसके ससुराल मामडोली गया था। रास्ते में वह रास्ता भटक कर पिरासिया की तरफ चला गया। सुरेश जाट ने उसकी मोटरसाईकिल रूकवा दी और उसके साथ मारपीट की और उसकी पत्नी को मोटरसाईकिल से नीचे पटक दिया और कपड़े फाड़ दिये। सुरेश के साथ एक–दो जने ओर थे।

किसी को आत्ता देखकर सुरेश उसके भाई की मोटरसाईकिल लेकर वहां से भाग गया और उसने रिपोर्ट दर्ज कराई तो उसने मोटरसाईकिल को जला दिया। पहले सुरेश उसके भाई की पत्नी को फोन करता था। इस कारण कई बार सुरेश को उसने समझाया भी था। रिपोर्ट दर्ज कराने वह भी साथ में गया था रिपोर्ट प्रदर्श पी–01 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त ने कथन किया कि यह कहना सही है कि रिपोर्ट प्रदर्श पी–01 उसने लिखी थी। उसने रिपोर्ट थाने के बाहर ही बैठ कर लिखी थी। रिपोर्ट लिखी उस समय प्रदीप उसके साथ में ही था। घटना के समय वह किशनगढ़ में नौकरी पर था। किशनपूरी उनके रिश्तेदार है वह भी घटना के दिन झाडा दिलाने के लिये जा रहे थे। उसे घटना के बारे में उसकी मम्मी ने फोन करके बताया था तब वह किशनगढ़ से आया था। पूजा के हाथ पर चोटे आई थी और बाकि चोटे कहा पर आई वह औरत थी इसलिये उसने नही देखी। यह कहना गलत है कि प्रदीप के साथ कोई मारपीट नहीं हुई हो और वह मोटरसाईकिल से गिर गया था इस कारण उसके चोटे आई हो। यह कहना गलत है कि सुरेश और प्रदीप के पहले से अनबन भी इस कारण यह मुकदमा झुठा दर्ज कराया हो।

10. गवाह पीडब्लयू–3 पुसापुरी गोस्वामी ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये है कि करीब दो साल पहले साढ़े बारह बजे की बात है। एक बिना नंबर मोटर साईकिल की फर्द निरीक्षण उसके सामने बनाई थी, जो प्रदर्श पी 04 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। घटना स्थल का नक्शा मौका पुलिस ने उसके सामने बनाया था. जो प्रदर्श पी 03 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। नक्शा मौका झगड़ा होने व एक बच्ची के साथ छेडछाड़ हुई थी इस बाबत बनाया था। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त ने कथन किया कि फर्द निरीक्षण मोटर साईकिल में एक बिना न मोटर साईकिल बरामद हुई थी। जिसके बारे में लिखा हुआ है। मोटर साईकिल जली हुई थी। फर्द प्रदर्श पी 04 में उसके हस्ताक्षर पिरासिया रोड पर जहां दो रस्ते घूमते है वहा करवाए थे। उसके अलावा सुनील के हस्ताक्षर करवाए थे, और किसके करवाए उसे पता नहीं। प्रदर्श पी 03 पिरासिया जाते है उस रोड पर बनाया जिसमें एक साइड में हरनाथ जी गौदारा का खेत है, दूसरी तरफ भी गौदारों के खेत है। नक्शा मौका बारह साढ़े बारह बजे बनाया था, नक्शा मौका बनाते वक्त रास्ते चलने वाले व्यक्ति व गवाह और वह था। प्रदीप और गिरधारी उसके जाति भाई है। उस समय वह पिरासिया की ढाणी में मेवाराम बाबू जी से मिलने जा रहा था, और वहां उसका ट्यूबवेल भी है, जिसे चैक करने में जाता रहता है उसके साथ कोई नहीं था। यह कहना गलत है कि प्रदीप व गिरधारी उसके जाति भाई है, इसलिए वह बयान देने आया है, जबकि उसका मौका उसके सामने देखा था व उसके साईन करवाए थे, इसलिए आया है। मौका किस बात का देखा था उसे पता नहीं। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 03 व प्रदर्श पी 4 पर उसके हस्ताक्षर साथ ही करवाए थे। वह मौके पर पौने बारह के करीब पहुंचा था। वह गया तब पुलिस वाले वहीं थे।

11. गवाह पीडब्लयू–4 सुनील पुरी ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये है कि दिनांक 18.03.2017 को पुलिस थाना मकराना के पुलिस अधिकारी ने उसके समक्ष घटना स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 3 बनाया था जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। उसके भाई के साथ मारपीट हुयी थी इस बाबत बनाया थ। पुलिस ने उसके सामने कोई गाड़ी जप्त नहीं की। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त ने कथन किया कि यह कहना सही है कि उसके सामने कोई मारपीट नहीं हुयी। नक्शा मौका प्रदर्श पी 3 में क्या लिखा है। उसे इसकी जानकारी नहीं है। नक्शा

मौका प्रदर्श पी 3 पर उसके अलावा पूसापुरी के हस्ताक्षर कराये थे। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 4 पर उसने पुलिस वालों के कहने से हस्ताक्षर किये थे। उसमें क्या लिखा है। उसे नहीं पता।

12. गवाह पीडब्लयू–5 पुजा कुमारी ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये है कि दिनांक 17.03.2017 को वह और उसके पति प्रदीप पुरी मोटरसाईकिल से बिल्लू रोड से मामड़ोली जा रहे थे। मामड़ोली में उसके जेठ का ससुराल है। वे अपने निजी काम से वहां जा रहे थे। एक बाईक पर वह और उसके पति थे। पन्द्रह बीस मीनट के पीछे बाईक पर उसके जेठ गिरधारी और उसके मामा ससुर का लड़का किशन आ रहे थे। रास्ते में पिरासियों की ढाणी का सुरेश ने उनके पीछे से आकर हमला कर दिया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। उसका ब्लाउज और साडी फाड़ दिया। उसके पति ने उसे छुड़ाने की कोशिश की तब उसने उसे काटों में धक्का दे दिया और उसके पति को पकड़ लिया और लाठी से उसके पति के बाएं पैर की नली पर मारा और दाएं पैर की जांघ पर मारी। उसके पति के कान के पास भी चोट आई थी। सुरेश के साथ तीन चार लड़के थे जिन्होने ने भी उसके पति के साथ थाप मुक्को से मारपीट की। पीछे से उसके जेठ व मामा ससुर के लड़के को व राह चलते लोगों को आते देखकर वे लोग वहां से भाग गये। उसके पति को घायल कर दिया व उनकी बाईक भी छीनकर ले गये। बाद में अगले दिन उन्हें पता चला कि उसने उनकी बाईक को जला दिया। सुरेश उसके व उसकी सास के फोन पर फोन करता था और उसकी सास के फोन पर गालीयां देता था तब उसके पति ने उसे ऐसा करने से मना किया था इस बात को लेकर उसने उनके साथ मारपीट व उसके साथ छेड़छाड़ की। उसके परबतसर कोर्ट में बयान हुये थे वहां भी उसने यह ही बताया था जो उपर बताया था। बयान 164 द.प्र.सं. प्रदर्श पी–5 है तथा बयानों की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी–5 ए है जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त ने कथन किया कि वह और उसका पति घर से साढे बारह बजे रवाना हुये थे। एक बाईक पर वह और उसका पति व दूसरी बाईक पर उसके जेठ गिरधारी पुरी व किशन थे। वे पिरासियों की ढाणी के पास पहुंचे थे। सुरेश व उसके साथ तीन–चार लोग आये थे। सुरेश को उसने पहले देखा था। सुरेश बोरावड में रहता है व उनके मौहल्ले की गली से आता जाता है। उनकी मोटरसाईकिल के नंबर वह नहीं बता सकती। उसके शरीर पर खरोंच आई थी जो आज भी है। उसके एक हाथ पर खरोंचे आई थी। उसके और कोई चोटें नहीं आई थी। उसने घटना के समय किस रंग की साड़ी व ब्लाउज पहन रखा था वह आज नहीं बता सकती। उसने उसके फटटे हुये कपडे पुलिस को नहीं दिये क्योंकि उन्होने मांगे नहीं। सुरेश से उसकी जान पहचान छ–सात महिने से थी। सुरेश उसकी बहन के साथ पढ़ता था इसलिए उसकी जान पहचान है। उसकी बहन का नाम छोटी है। वह उसकी बहन के स्कूल में नहीं पढ़ती थी। सुरेश का उनके घर आना जाना नहीं था। उसके आज से पहले परबतसर में बयान हुये थे। यह कहना सही है कि बयान उसने उसके पति के कहेनुसार दिये थे फिर कहा उसे प्रश्न समझ में नहीं आया उसने बयान जो उसके साथ हुआ उसी के संबंध में दिये है उसके पति के कहने से कुछ नहीं लिखाया। रिपोर्ट दर्ज कराने में उसके पति के साथ नहीं गई थी, उसके जेठ व उसके पति गये थे। गिरधारी जी घटना के पांच दस मीनट बाद आ गये थे जिन्हें देखकर वो लोग वहां से भाग गये थे। उसके पति के साथ हाथो से, मुक्को से व लाठियों से मारपीट हुई थी। सुरेश के साथ आये व्यक्तियों के हुलिये वह नहीं बता सकती क्योंकि उसने उन्हें कभी देखा नहीं। उसके पति के शरीर पर चार–पांच चोटे लगी थी।

प्रदीप पुरी ने उसे सुरेश से बात करने के लिए मना किया था, वह सुरेश को फोन नहीं करती थी वो उसे व उसकी सास के फोन पर फोन करता था। यह कहना सही है कि सुरेश उसे फोन करके तंग करता था इसकी कहीं कोई शिकायत उन्होंने नहीं की सुरेश वगैरह ढाणी में ही थे जिन्होने उन्हें देखकर उन पर हमला कर दिया। इन चारो लोगों ने उनके साथ मारपीट की फिर गिरधारी व किशन को आते देख वहां से भाग गये। उसके जेठ के अलावा राह चलते तीन–चार लोग भी आये थे। यह कहना सही है कि बोरावड से मामडोली जाते समय बीच में पिरासिया की ढाणी नहीं आती है लेकिन वे बिल्लू के रास्ते से जा रहे थे जहां पिरासियों की ढाणी आती है। बिल्लू से मामडोली की दूरी पच्चीस किलोमीटर हो तो उसे नहीं पता। बोरावड़ से बिल्लू की दूरी पन्द्रह किमी हो तो उसे पता नहीं। यह कहना सही है कि बोरावड़ से मामड़ोली की दूरी दस किलोमीटर है। यह कहना सही है कि पुलिस बयान प्रदर्श–डी 1 में उसके शरीर पर आई चोटों के बारे में नहीं लिखाया। यह कहना सही है कि उसके परबतसर में हुये 164 सी.आर.पी.सी के बयानों में उसने उसकी चोटों के बारे में नहीं बताया। क्योंकि उसके कुछ जाहिरा चोटे नहीं थी। सुरेश के साथ तीन व्यक्ति थे या चार व्यक्ति थे वह निश्चित तौर पर नहीं बता सकती। यह कहना गलत है कि उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई हो। यह कहना गलत है कि उसके पति प्रदीप के साथ कोई मारपीट नहीं हुई हो। यह कहना गलत है कि पति प्रदीप पुरी मोटरसाईकिल से जा रहा हो और मोटसाईकिल से गिरने से चोट आई हो। यह कहना गलत है कि उसके व सुरेश के बीच मित्रता हो और उसके पति को इस बारे में पता चलने पर सुरेश व उसके पति के बीच विवाद हुआ हो। यह कहना गलत है कि सुरेश को फंसाने के लिए यह झूठा मुकदमा दर्ज कराया हो। यह कहना गलत है कि घटना स्थल पर गिरधारी वगैरह नहीं आये हो। यह कहना गलत है कि गिरधारी किशन को उसके पति ने फोन करके बुलाया हो।

13. गवाह पीडब्लयू–6 योगेन्द्र सिंह कच्छावा ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये है कि वह दिनांक 17.03.2017 को सामुदायिक स्वास्थय केन्द्र मकराना में चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत था। उस दिन थानाधिकारी मकराना की तहरीर पर मजरूब प्रदीप पुरी पुत्र मदनपुरी, उम्र–22 साल, जाति–गोस्वामी, निवासी–बोरावड़ का मेडिकल मुआयना कर चोट प्रतिवेदन तैयार किया जिसके शरीर पर चोट सं 01–खरोंच एक गुणा 1/8 गुणा व 1 गुणा 1/8 जो गर्दन पर दाहिनी तरफ थी। नोट सं 02 कुचला हुआ घाव 3/4 गुणा 1/8 बाई टांग पर नीचे की तरफ, चोट सं 03 खरोंच 1/4 सेमी गुणा 1/4 सेमी दाहिने कान पर थी। चोट सं 04. नीलगू 3 गुणा 2 इंच दाहिने पैर के घुटने पर अंदर की तरफ। सभी चोटे सामान्य प्रकृति व कुन्दालय से कारित थी। चोटों की अवधि 6 से 12 घंटे के भीतर की थी। चोट प्रतिवेदन 6 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है व सी से डी मजरूब का पहचान चिन्ह है। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त ने कथन किया कि यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–6 में वर्णित चोट सख्त धरातल से टकराने से आ सकती है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–6 में वर्णित चोट सं 01, 03, 04 स्वकारित हो सकती है। यह कहना सही है कि चोट से 02 मोटरसाईकिल से गिरने से आ सकती है।

14. गवाह पीडब्लयू–7 किशनपुरी गोस्वामी ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये है कि सात आठ साल पहले दिन के 12–1 बजे की बात है। वह और उसकी भुआ का लडका गिरधारी मोटरसाइकिल से तिजिपाती ढाणी जा रहे थे। फरासिया बेरा की ढाणी के पास पहुंचा तो वहां पूजा के कपड़े फटे हुए थे और सुरेश मोटरसाइकिल लेकर भाग रहा था उसी ने पूजा के

कपडे फाड़े होंगे। उसने देखा कि प्रदीप के भी चोटें आई हुई थी। प्रदीप और पूजा वहीं पर थे। प्रदीप के सुरेश व उसके तीन–चार साथियों ने मारपीट की थी। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त ने कथन किया कि प्रदीप पुरी उसके भुआ का लडका लगता है। उसका गांव झालरा तहसील परबतसर में है। वह तिजिपाती की ढाणी जा रहा था। जिस दिन घटना हुई उसके पहले दिन वह बोरावड़ आया था। उसके तिजिपाती की ढाणी कोई रिश्तेदारी नहीं है वह तो झाड़–फूड़ करवाने के लिए आया था। पुलिस वालों ने उसके बयान जिस घटना हुई उसी दिन लिये थे। वह जिस मोटरसाइकिल से जा रहा था उस मोटरसाइकिल के नम्बर उसे याद नहीं है। वह प्रदीप की मोटरसाइकिल के नम्बर नहीं बता सकता। प्रदीप की मोटरसाइकिल टीवीएस स्टारसिटी की थी। वे घटना के पांच–दस मिनट बाद पहुंचे थे। प्रदीप भी तिजिपाती की ढाणी जा रहा था। प्रदीप की जो मोटरसाइकिल लेकर जा रहा था उसका वह हुलिया नहीं बता सकता। प्रदीप के गर्दन, पैरों, सिर में, हाथों पर चोट आई हुई थी। कौनसे हाथ पर चोट आई हुई थी वह नहीं बता सकता। प्रदीप के शरीर पर खून आया हुआ था। उसने प्रदीप के हाथ, पैर में खून आया हुआ देखा था। प्रदीप के उसने घुटनों के नीचे खून आया हुआ देखा था। प्रदीप ने कौनसे रंग के कपडे पहने हुए थे उसने नहीं देखा। पूजा ने कौनसे कलर के कपडे पहन रखे थे वह नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि पूजा और प्रदीप मोटरसाइकिल से गिर गये हो। यह कहना गलत है कि प्रदीप के चोटें गिरने से आई हो। यह कहना गलत है कि पूजा के कपडे मोटरसाइकिल से गिरने से फट गये हो। मौके पर उनके अलावा दो–तीन लोग और थे। वे मौके पर गये तब दो–तीन लोग और मौजूद थे। यह कहना सही है कि उसने प्रदीप के साथ मारपीट करते हुए नहीं देखा अजखुदकहा उसने भागते हुए देखा था। यह कहना सही है कि उसने पूजा के कपड़े फाड़ते हुए नहीं देखा। यह कहना गलत है कि पूजा और सुरेश के दोस्ती हो अजखुदकहा फोन करके तंग करता था। यह कहना गलत है कि पूजा सुरेश से फोन पर बाते करती हो जिससे प्रदीप सुरेश से रंजिस रखता हो। यह कहना गलत है कि प्रदीप ने सुरेश से बदला लेने के लिए झूठा मुकदमा करवाया हो। सुरेश जब मोटरसाइकिल लेकर भाग रहा था तब किसी ने पीछा नहीं किया। यह कहना सही है कि वह सुरेश को पहले से नहीं जानता उसे तो प्रदीप ने बताया कि सुरेश ने उसके साथ मारपीट की। वह घटना के दिन शाम को गांव चला गया था। यह कहना गलत है कि प्रदीप अकेला हो उसके साथ कोई औरत नहीं हो। पुलिस बयान प्रदर्श डी 2 का हिस्सा ए से बी भाग सुनकर कहा उसने नहीं लिखाया। प्रदर्श डी 2 का सी से डी भाग सुनकर कहा उसने नहीं लिखाया। यह कहना सही है कि पुलिस बयान डी 2 में सुरेश पूजा को फोन करके तंग करता हो यह बात उसने पुलिस को नही बताई थी। यह कहना सही है कि उसने सुरेश को पूजा के कपड़े फाडते हुए नहीं देखा और प्रदीप के साथ मारपीट करते हुये नहीं देखा लेकिन सुरेश वहां से गाडी लेकर भाग गया था। यह कहना गलत है कि प्रदीप उसकी बुआ का लड़का होने की वजह से वह झूठे बयान दे रहा हो।

15. गवाह पीडब्लयू–8 धर्मेंद्र ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये है कि उसने कोई घटना नहीं देखी। उसने सुना था कि सुरेश के घर वालों के साथ कुछ लड़को ने मारपीट की थी, किसने की उसे जानकारी नहीं है। दौराने जिरह अभियोजन अधिकारी ने कथन किया कि सुरेश उसकी ढाणी का पड़ौसी है इसलिए उसे जानता है। प्रदीप पुरी गोस्वामी को वह नहीं जानता। घटना लगभग आठ साल पुरानी है। सुरेश ने प्रदीप गोस्वामी के साथ मारपीट की हो तो उसे पता नहीं है। पुलिस बयान प्रदर्श पी–7 का ए से बी भाग सुनकर कहा कि उसने पुलिस को नहीं

लिखाया। यह कहना गलत है कि उसने यह सुना हो कि सुरेश जाट ने प्रदीप की मोटरसाईकिल जला दी हो। बाबूलाल सारण को वह नहीं जानता। यह कहना गलत है कि मुल्जिम से मिलकर उसे बचाने के लिए वह आज झूठे बयान दे रहा हो।

16. गवाह पीडब्लयू–9 कुंभाराम ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये है कि वह पुलिस के साथ बरामदगी स्थल पर नहीं गया था। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त ने कथन किया कि यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–8 पर उसने हस्ताक्षर किये तब कागज खाली था। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–8 पर उसके हस्ताक्षर थाने में करवाये थे।

17. गवाह पीडब्लयू–10 आसाराम ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये है कि वह पुलिस के साथ मोटरसाईकिल जली हुई मिली उस स्थान पर नहीं गया था। मोटरसाईकिल कौन कौनसी जगह पर जलाई उसे पता नहीं है। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त ने कथन किया कि यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–8 पर उसके खाली कागज पर हस्ताक्षर करवाये थे। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–8 पर उसके हस्ताक्षर थाने में करवाये थे। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–8 पर उसके थाने में हस्ताक्षर करवाये तभी सुरेश के हस्ताक्षर करवाये थे।

18. गवाह पीडब्लयू–11 मुमताज खां ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये है कि वह दिनांक 17.06.2017 को पुलिस थाना मकराना में ए.एस.आई के पद पर कार्यरत था। उस दिन प्रार्थी प्रदीपपुरी ने उपस्थित थाना होकर थानाप्रभारी उदयलाल एस.आई. के समक्ष एक लिखित रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट के मजमुन से मामला जुर्म धारा 143,341, 323,427, 379,354बी भारतीय दण्ड संहिता के वकू में आना पाये जाने पर प्रकरण संख्या 104/2017 दर्ज होकर पत्रावली वास्ते अनुसंधान उसे सुपुर्द की गई। रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 है जिस पर इ से एफ थानाप्रभारी उदयलाल के हस्ताक्षर है, जी से एच कार्यवाही पुलिस का पृष्ठांकन है। चाक एफ.आई.आर प्रदर्श पी–2 है जिस पर सी से डी थानाप्रभारी उदयलाल के हस्ताक्षर है। दौराने अनुसंधान प्रार्थी प्रदीप पुरी की निशादेही से घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा व हालात मौका तैयार किया था जो प्रदर्श पी–3 है जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर है। प्रार्थी प्रदीप पुरी के शरीर पर आई चोटों का मेडिकल मुआयना करवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया जो प्रदर्श पी–6 है जिस पर इ से एफ उसके हस्ताक्षर है। प्रार्थी प्रदीप पुरी, गवाहान गिरधारी पुरी, श्रीमती पूजा, किशनपुरी, धर्मेन्द्र गौदारा, बाबूलाल के बयान उनके कहेनुसार लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली किये गये। पूजा देवी के धारा 164 सी.आर.पी.सी. में बयान लेखबद्ध करवाये गये। घटना स्थल डांगिया नाडा से जली हुई बिना नंबरी मोटरसाईकिल प्रार्थी की मौजूदगी में निरीक्षण कर जप्त किया गया। मोटरसाईकिल लाल रंग की थी, आगे का टायर पूरा जला हुआ था, आगे के टायर की रिम टूटी हुई थी, आगे की हैडलाईट टूटी हुई थी। स्टार्टर, क्लच, सीट जली हुई थी। मोटरसाईकिल को देखकर प्रार्थी ने अपनी होना शिनाख्त किया था। फर्द जप्ती व निरीक्षण मोटरसाईकिल प्रदर्श पी–4 है जिस पर ए से बी व सी से डी गवाहान के, इ से एफ परिवादी प्रदीप के व जी से एच उसके हस्ताक्षर है। मुल्जिम सुरेश के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने पर सुरेश द्वारा दी गई धारा 27 की सूचना के आधार पर डांगिया नाडा सरहद बोरावड तस्दीक करवाया था जहां पर उसने मोटरसाईकिल को जलाया था। फर्द तस्दीक नक्शा मौका प्रदर्श पी–8 है जिस पर ए से बी व सी से डी गवाहान के, इ से एफ मुल्जिम सुरेश के, जी से एच उसके हस्ताक्षर है। फर्द इत्तिला 27 प्रदर्श पी–9 है जिस पर

ए से बी उसके व सी से डी सुरेश के हस्ताक्षर है। जली हुई मोटरसाईकिल की फोटोग्राफी करवाकर फोटोग्राफ्स शामिल पत्रावली किये थे जो प्रदर्श पी–11, 12 व 13 है जिनके कवर पर ए से बी उसके शामिल पत्रावली के हस्ताक्षर है। आरोपी द्वारा अनुसंधान में सहयोग करने पर गिरफ्तार नहीं करने बाबत् कारणों की चैक लिस्ट तैयार कर न्यायालय में उपस्थित होने हेतु पाबंद किया था, चैक लिस्ट प्रदर्श पी–14 है जिस पर ए से बी उसके, सी से डी मुल्जिम सुरेश के हस्ताक्षर है। बाद अनुसंधान मुल्जिम सुरेश के विरूद्ध जुर्म धारा 323, 341, 435, 379 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध पाये जाने पर पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही थानाधिकारी गोमाराम सी.आई. को सुपुर्द की थी जिनके द्वारा उक्त मुल्जिम के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। थानाप्रभारी उदयलाल व थानाधिकारी गोमाराम के हस्ताक्षर में उनके साथ काम करने की वजह से पहचानता है। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त ने कथन किया कि यह कहना सही है कि उक्त प्रकरण में उसने छेडखानी व लज्ञा भंग जैसा अपराध नहीं माना। यह कहना सही है कि गाली गलौच से संबंधित भी कोई घटना नहीं हुई। प्रदर्श पी–1 रिपोर्ट में परिवादी ने मोटरसाईकिल जलाने की बात नहीं लिखी। यह कहना गलत है कि उसने घटना स्थल के आस पडौसियों के बयान नहीं लिये हो। घटना स्थल के पड़ौसी कौन कौन थे वह पत्रावली देखकर बता सकता है। कहना सही है कि अभियुक्त व उसकी पत्नी के बीच में कोई बात होने के संबध कोई सी.डी.आर. वगैरह भी पत्रावली में नहीं ली। यह कहना सही है कि पूजा के शरीर पर कोई चोटे नहीं थी और उसका मेडिकल भी नहीं करवाया था। यह कहना सही है कि पूजा ने धारा 164 सी.आर.पी.सी. में जो बयान दिये थे उसमें ब्लाउज फाड़ना, साडी फाड़ना व लज्ञा भंग करने का लिखाया है ऐसा अपराध उसने अनुसंधान में झूठा माना है। यह कहना गलत है कि उसने मुस्तगीस से मिलकर अभियुक्त के विरूद्ध झूठी चार्जशीट पेश की हो

19. गवाह पीडब्लयू–12 बाबूलाल ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये है कि कब की बात है क्या हुआ था उसे पता नहीं है। दौराने जिरह अभियोजन अधिकारी ने कथन किया कि पिरासिया की ढाणी में उसकी कोई रिश्तेदारी नहीं है। वह धर्मेन्द्र गौदारा को नहीं जानता। पुलिस बयान प्रदर्श डी–2 का इ से एफ भाग उसने पुलिस को नहीं बताया। पुलिस बयान प्रदर्श डी–2 का सी से डी भाग सुनकर कहा उसने पुलिस को नहीं लिखाया। सुरेश ने प्रदीप की मोटरसाईकिल को जला दिया हो तो उसे पता नहीं है। सुरेश जाट उसका मिलने वाला नहीं है परन्तु स्कूल में साथ पढ़े हुये है। यह कहना गलत है कि सुरेश के साथ पढ़े होने के कारण वह आज उसके कहने से बयान दे रहा हो। वह धर्मेन्द्र गौदारा को नहीं जानता।

20. पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे दर्शित हो रहा है कि दिनांक 17.03.2017 को परिवादी प्रदीप पुरी द्वारा लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 मुख्य रूप से इस आशय की पेश की गयी कि उक्त दिनांक को वह अपनी पत्नी के साथ बिल्लू की तरफ जा रहा था की सुरेश जाट अपने 3–4 साथियों के साथ आया और मोटरसाईकिल रोककर उसकी पत्नी पुजा के साथ छेड़छाड़ चालू कर दी। उसके कपड़े खींचकर फाड़ दिये व उसे अर्दनग्न कर दिया। उसने बचाने के लिये विरोध किया तो उस पर भी हमला कर लाठी पत्थर से मारपीट की जिससे वह घायल हो गया उसकी पत्नी की बेईज्ञती की इससे पहले भी सुरेश उसकी पत्नी को मोबाईल पर फोन कर बुरी–बुरी गांलियां निकाल रहा आदि। उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना मकराना में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 104/2017 अंतर्गत धारा 341, 143, 323, 354 बी, 427,

379 भारतीय दण्ड संहिता दर्ज कर बाद अनुसंधान अभियुक्त सुरेश के विरूद्ध धारा 323, 341, 435 व 379 भारतीय दण्ड संहिता में आरोप पत्र पेश किया गया है परंतु न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध धारा 341, 323, 435, 379, 354 बी भारतीय दण्ड संहिता में प्रसंज्ञान लिया जाकर इन्हीं धाराओं में अभियुक्त को आरोप सुनाये गये है। पत्रावली पर आयी साक्ष्य का अवलोकन करने से दर्शित हो रहा है कि प्रकरण के परिवादी प्रदीप पुरी न्यायालय में गवाह पी.ड 1 के रूप में उपस्थित हुआ है एवं उक्त गवाह द्वारा अपने मुख्य परीक्षा में अभियोजन पक्ष की कहानी का पूर्णरूपेण समर्थन करते हुये घटना के दिन जब वह पिरासियों की ढाणी के पास पहुंचे तत्समय सुरेश जाट आकर उनकी मोटरसाईकिल को रोककर चाबी निकाल ली और उसकी पत्नी के साथ छेड़छाड़ करना कपड़े फाड़ देना उसके साथ मारपीट करना व मोटरसाईकिल को लेकर भाग जाना बताया है व स्वयं द्वारा रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 दर्ज करवाया जाना नक्शा मौका प्रदर्श पी 3 बनाये जाने के भी कथन किये है। पत्रावली के ही अवलोकन से यह भी दर्शित हो रहा है कि हस्तगत प्रकरण में जिस महिला के साथ में लज्ञा भंग कारित किया जाना बताया गया है वह परिवादी प्रदीप पुरी की पत्नी पूजा है जो न्यायालय में गवाह पी.ड 5 के रूप में उपस्थित हुयी है। उक्त गवाह द्वारा भी अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन पक्ष की कहानी का पूर्णरूपेण समर्थन करते हुये कथन किये है कि घटना के दिन वह अपने पति प्रदीप के साथ बिल्लू रोड़ जा रही थी। तब सुरेश द्वारा पीछे से आकर हमला किया एवं उनके पीछे उसका जेट गिरधारी और उसके मामा ससुर का लड़का किशन आ रहे थे। सुरेश द्वारा उसके ब्लाउज साडी फाड़ दिया उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया व उसके पति के साथ लाठी से मारपीट की गयी व सुरेश उनकी बाईक को छीनकर ले गया व अगले दिन पता चला की बाईक को जला दिया व उसके बयान धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत हुये जो प्रदर्श पी 5 है। गवाह पी.ड 5 द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में उनके पीछे से गिरधारी व किशन का आना बताया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी दर्शित हो रहा है कि गिरधारी गवाह पी.ड 2 के रूप में न्यायालय में उपस्थित हुआ है। जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि उसका छोटा भाई प्रदीप व पुजा झाड़ा दिलाने के लिये उसके ससुराल मामडोली जा रहे थे। वह रास्ता भटक कर पिरासिया चले गये। जहां पर सुरेश ने उनकी मोटरसाईकिल को रूकवाकर उनके साथ मारपीट की व उसकी पत्नी को मोटरसाईकिल से नीचे गिराकर कपड़े फाड़ दिये व सुरेश ने उनको आते देखकर मोटरसाईकिल को लेकर भाग गया व मोटरसाईकिल को जला दिया। वह रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिये साथ में गया है। जिस पर उसके भी हस्ताक्षर है। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से यह तर्क रहे है कि गवाह पी.ड 2 द्वारा घटना के समय स्वयं के घटनास्थल पर उपस्थित होने के तथ्य को स्वीकार नहीं किया है। इस संबंध में गवाह पी.ड 2 से हुयी जिरह का अवलोकन करने से दर्शित हो रहा है कि गवाह द्वारा अपनी जिरह व मुख्य परीक्षा में यह कथन किये है कि वह घटना के समय प्रदीप के पीछे आ रहे थे परंतु जिरह में यह भी कथन किये है कि उसे घटना के बारे में उसकी मम्मी ने फोन बताया तब वह किशनगढ से आया था परंतु आगे गवाह द्वारा यह भी कथन किये गये है कि यह कहना गलत है कि प्रदीप के साथ कोई मारपीट नहीं हुयी तथा वह मोटरसाईकिल से गिर गया हो इस कारण चोट आयी हो। गवाह पी.ड 5 पूजा द्वारा स्वयं की मुख्य परीक्षा में घटना के समय उपस्थित अन्य व्यक्ति का नाम किशन बताया गया है जो न्यायालय में गवाह पी.ड 7 के रूप में उपस्थित हुआ है। जिसने भी अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किये है कि घटना के दिन वह तथा उसके बुआ का लड़का मोटरसाईकिल से जा रहे थे। फरासिया बेरा की ढाणी के पास पहुंचे तो वहां पुजा के कपड़े फाड़े

हुये थे और सुरेश मोटरसाईकिल लेकर भाग रहा था। उसने देखा की प्रदीप के भी चोटें आयी हुयी थी। प्रदीप के सुरेश व उसके 3–4 साथियों ने मारपीट की थी। साथ ही उक्त गवाह द्वारा अपनी जिरह में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि यह कहना सही है कि उसने प्रदीप के साथ मारपीट करते नहीं देखा। आजखुद कहा भागते हुये देखा था।

21. दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से यह भी तर्क रहे है कि उक्त गवाहन द्वारा दी गयी साक्ष्य में जिस स्थान पर घटना घटित होना बताया गया है उसके अतिरिक्त स्थान का उल्लेख किया गया है। इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे दर्शित हो रहा है कि गवाह पी.ड 1 प्रदीप पुरी ने घटना पिरासियां की ढाणी पी.ड 2 द्वारा भी पीरासिया की ढाणी पी.ड 5 द्वारा बिल्लू रोड़ से मामडोली व पी.ड 7 द्वारा फरासिया के बेरा की ढाणी घटना घटित होना बताया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी दर्शित हो रहा है कि दौराने अनुसंधान में बनाये गये नक्शा मौका प्रदर्श पी 3 व फर्द तस्दीक मौका प्रदर्श पी 8 में घटनास्थल पिरासिया की ढाणी के आगे रास्ता पर तिराहा जो बिल्लू व बोरावड़ की ओर जाने वाला स्थान का होना बताया गया है। हालांकि गवाहन द्वारा दी गयी साक्ष्य में स्थान भिन्न–भिन्न बताये गये है। परंतु पत्रावली पर उपलब्ध नक्शा मौका प्रदर्श पी 3 का फर्द तस्दीक प्रदर्श पी 8 के अवलोकन से यह दर्शित हो रहा है कि उक्त स्थान जहां पर एक तिराहा है व खेतों के मध्य होना बताया गया है जो कोई स्पष्ट स्थान को भी दर्शित नहीं करता है। ऐसी दशा में केवल मात्र घटनास्थल के संबंध में भिन्न–भिन्न साक्ष्य दिये जाने के स्थान पर यह नहीं माना जा सकता है कि इस प्रकार की घटना घटित नहीं हुयी हो। दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से यह भी तर्क दिये गये है कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत गवाह पी.ड 4 सुनील पुरी पी.ड 8 धर्मेन्द्र पी.ड 9 कुंभाराम, पी.ड 10 आसाराम द्वारा अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन नहीं किये है एवं उक्त सभी गवाह पक्षद्रोही घोषित हुये है। इस प्रकार पत्रावली के अवलोकन से दर्शित हो रहा है कि गवाह पी.ड 4 सुनील पुरी फर्द जब्ती प्रदर्श पी 4 व नक्शा मौका प्रदर्श पी 3 के गवाह के रूप में उपस्थित हुये है। जिसने नक्शा मौका उसके समक्ष बनाये जाने के कथन किये हैं परंतु फर्द जब्ती गाड़ी उसके समक्ष बनाये जाने से इंकार किया है। इसी प्रकार गवाह पी.ड 8 धर्मेन्द्र ने उसके समक्ष कोई भी घटना घटित होने से इंकार किया है। गवाह पी.ड 9 द्वारा बरामदगी स्थल का नक्शा प्रदर्श पी 8 उसके समक्ष बनाये जाने से इंकार किया है। गवाह पी.ड 10 आसाराम द्वारा मोटरसाईकिल जली हुयी स्थान बरामदगी स्थल प्रदर्श पी 8 उसके समक्ष बनाये जाने से इंकार किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह दर्शित हो रही है कि अभियुक्त पर आरोपित अपराध में घटना के दिन परिवादी प्रदीप पुरी के साथ मारपीट किये जाने व प्रदीप पुरी व उसकी पत्नी को इच्छित दिशा में जाने से निवृत करने व मोटरसाईकिल की चोरी करने व उसे जलाने व परिवादी की पत्नी के साथ लज्ञा भंग कारित किये जाने के आरोप है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी दर्शित हो रहा है कि अभियोजन पा की ओर से प्रस्तुत गवाहन द्वारा दी गयी साक्ष्य में यह स्पष्ट रूप से दर्शित हुआ है कि घटना के दिन अभियुक्त सुरेश द्वारा परिवादी व उसकी पत्नी पुजा को उनकी इच्छित दिशा में जाने से रोका है एवं परिवादी प्रदीप पुरी के साथ में मारपीट की गयी। इसी संबंध में दौराने साक्ष्य प्रदीप पुरी के शरीर पर आयी चोटों के संबंध में चोट प्रतिवेदन को प्रदर्श पी 6 के रूप में प्रदर्शित किया हो तथा चोट प्रतिवेदन बनाने वाले चिकित्सक को गवाह पी.ड 6 के रूप में परीक्षित करवाया है। जिसने स्वयं की साक्ष्य में चोट प्रतिवेदन में वर्णित चोटों को सामान्य प्रकृति व कुंदाले से कारित होना बताया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह दर्शित हो रहा है कि अनुसंधान अधिकारी द्वारा स्वयं के

अनुसंधान में परिवादी की पत्नी के साथ लज्ञा भंग होने के आरोप को प्रमाणित नहीं माने है एवं न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रसंज्ञान लिया जाकर आरोप सुनाये गये है। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत गवाह पी.ड 5 पुजा कुमारी व पी.ड 1 प्रदीप पुरी द्वारा स्वयं की साक्ष्य में यह कथन किये है कि सुरेश द्वारा उन्हें मोटरसाईकिल से नीचे गिरा दिया एवं उसकी पत्नी के कपड़े फाड़कर उसके साथ में छेड़छाड़ की थी। परंतु दौराने अनुसंधान अनुसंधान अधिकारी द्वारा इस प्रकार के कोई भी कपड़े जो की फाड़े गये हो को बरामद नहीं किया गया है। साथ ही गवाह पी.ड 7 द्वारा केवल मात्र अंदाजे से यह कहा गया की सुरेश मोटरसाईकिल लेकर भाग रहा था उसी ने कपड़े फाड़े होंगे। जबकि उक्त गवाह प्रकरण का चक्षुदर्शी साक्षी रहा हो यह नहीं माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त गवाह पी.ड 2 गिरधारी जिसे भी घटना का चक्षुदर्शी साक्षी होना बताया गया है ने अपनी साक्ष्य में पुजा के साथ में लज्ञा भंग कारित करने के तथ्य को नहीं बताये गये है। ऐसी दशा में उक्त गवाह द्वारा दी गयी साक्ष्य के आधार पर भी लज्ञा भंग होने के अपराध को संदेह से परे साबित नहीं माना जा सकता है।

22. अभियुक्त पर आरोपित अन्य अपराध है कि अभियुक्त द्वारा परिवादी की मोटरसाईकिल को चोरी किया गया एवं उसे जला दिया गया इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन किये जाने से दर्शित हो रहा है कि दौराने अनुसंधान अधिकारी द्वारा जरिये फर्द जब्ती प्रदर्श पी 4 मोटरसाईकिल को जली हुयी अवस्था में जब्त किया गया हो एवं जिस स्थान से मोटरसाईकिल बरामद की गयी उसका फर्द तस्दीक नक्शा मौका प्रदर्श पी 8 बनाया गया हो एवं उक्त प्रदर्श पी 9 फर्द इत्तिला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के आधार पर बनाया गया है। अनुसंधान अधिकारी न्यायालय में गवाह पी.ड 11 के रूप में उपस्थित हुआ है। जिसने अपनी साक्ष्य में प्रकरण के संबंध में अनुसंधान किये जाने एवं उक्त फर्दों को बनाये जाने के कथन किये है। परंतु उक्त फर्दों के संबंध में गवाह पी.ड 10 आसाराम जो कि प्रदर्श पी 8 का गवाह है व गवाह पी.ड 9 जो भी प्रदर्श पी 8 का गवाह है। दोनों द्वारा ही अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन नहीं करते हुये उक्त दोनों गवाह पक्षद्रोही घोषित हुये है। इसके अतिरिक्त प्रदर्श पी 4 फर्द जप्ती जो कि चोरी के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण फर्द है के संबंध में उपस्थित हुये गवाह पी.ड 3 पुसाराम द्वारा स्वयं की जिरह में यह कथन किये है कि प्रदर्श पी 3 व प्रदर्श पी 4 में उसके द्वारा हस्ताक्षर एक साथ ही किये गये थे जबकि प्रदर्श पी 3 दिनांक 18.03.2017 को 11.35 एएम को बनाया गया है जबकि प्रदर्श पी 4 18.03.2017 को 12.30 पीएम पर बनाया गया है। ऐसी दशा में उक्त दोनों फर्दों पर एक साथ हस्ताक्षर किये जाने के तथ्य उक्त फर्दों एवं इस संबंध में दी गयी साक्ष्य पर विरोधाभास उत्पन्न करते है। इसके अतिरिक्त गवाह सुनील पुरी जो न्यायालय में गवाह पी.ड 4 के रूप में उपस्थित हुआ है ने स्वयं की मुख्य परीक्षा में उसके समक्ष कोई भी गाड़ी जप्त किये जाने के तथ्य से इंकार किया गया है क्योंकि प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध चोरी के भी अपराध आरोपित है परंतु इस संबंध में सबसे महत्वपूर्ण फर्द फर्द जप्ती को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। जिस आधार पर चोरी व चोरी के पश्चात वाहन को जलाने के तथ्य साबित नहीं माने जा सकते है एवं इन आधारों पर उक्त अपराध में अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाना न्यायोचित नहीं है।

23. फलतः उपरोक्त संपूर्ण विवेचन के आधार पर अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध धारा 323, 341 भारतीय दण्ड संहिता को संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है जबकि अन्य आरोपित अपराध धारा 435, 379 व 354बी भारतीय दण्ड

संहिता को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है इन आधारों पर अभियुक्त को धारा 323, 341 भारतीय दण्ड संहिता में दोषसिद्ध व अन्य धारा 435, 379 व 354 बी भारतीय दण्ड संहिता दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–आदेश–

24. अभियुक्त सुरेश पुत्र आसाराम उम्र 32 वर्ष निवासी पीरासिया की ढाणी सरहद बोरावड़ पीएस मकराना जिला डीडवाना कुचामन को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 323, 341 भारतीय दण्ड संहिता में दोषसिद्ध व अन्य धारा 435, 379 व 354बी भारतीय दण्ड संहिता दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

(रूपेन्द्र चौहान)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मकराना जिला डीडवाना कुचामन।

दण्ड पर सुनवाई एवं दण्डादेश

25. सजा के बिन्दु पर सुना गया। दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से यह तर्क रहे है कि अभियुक्त 2017 से अन्वीक्षा भुगत रहा है एवं 32 वर्षीय नवयुवक है। उभयपक्षों के मध्य हुयी गलतफहमी के कारण मुकदमा दर्ज करवाया गया है। अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में आपराधिक आचरण के आरोप वाला दोषसिद्धि के प्रमाण नहीं है एवं इन आधारों पर अभियुक्त को परीविक्षा का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

26. अभियोजन अधिकारी के उपस्थित रहने के कारण उनकी ओर से सजा के बिंदू पर नहीं सुना गया।

27. उभयपक्षों के मध्य दिये गये तर्को के संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे दर्शित हो रहा है कि अभियुक्त को धारा 323, 341 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में दोषसिद्ध किया गया है। अभियुक्त एक 32 वर्षीय नवयुवक होकर वर्ष 2017 से अनवीक्षा भुगत रहा है। अभियुक्त के पूर्ववर्ति आपराधिक आचरण या दोषसिद्धि के कोई प्रमाण पत्रावली पर नहीं है। अतः उक्त आधारों पर अभियुक्त को तत्काल कारावास से दण्डित किये जाने के स्थान पर उसे परीविक्षा के अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिया जाना न्यायोचित दर्शित हो रहा है।

–दण्डादेश–

28. अभियुक्त सुरेश पुत्र आसाराम उम्र 32 वर्ष निवासी पीरासिया की ढाणी सरहद बोरावड़ पीएस मकराना जिला डीडवाना कुचामन को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 323, 341 भारतीय दण्ड संहिता में दोषी करार दिये जाने पर उसे तत्काल किसी कारावास की सजा या अर्थदण्ड से दण्डित नहीं किया जाकर अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 की धारा 4 का लाभ दिया जाकर यह आदेश दिया जाता है कि यदि अभियुक्तगण 20,000/–रूपये अक्षरे बीस हजार रूपये राशि का स्वयं का मुचलका एक वर्ष की अवधि के लिए इस आशय का पेश कर स्वीकृत व तस्दीक करावे कि वह शांति एवं सद्व्यवहार बनाये रखेगा, अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा व जब भी न्यायालय तलब करेगा उपस्थित आएगा व दिये जाने वाले दण्ड को भुगतने को तैयार रहेगा तो उसे परिवीक्षा पर रिहा कर दिया जावे।

29. साथ ही अभियुक्त परिवीक्षा अधिनियम की धारा 5 के तहत अभियुक्त से 2000/– रूपये अक्षरे दो हजार रूपये अभियोजन व्यय के भी न्यायालय में जमा करायेगा, जो बाद गुजरने मियाद अपील राजकोष में जमा किये जाये। अभियुक्त की नियमित उपस्थिति बाबत् जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

30. अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह माननीय अपीलीय न्यायालय में उपस्थिति बाबत् अपने 437 ए दं0 प्र 0 सं0 के तहत दस हजार रुपये का जमानतनामा व इसी कदर राशि का मुचलका पेश कर तस्दीक करावे जो आगामी 06 माह के लिए प्रवृत्त रहेगा।

(रूपेन्द्र चौहान)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मकराना जिला डीडवाना कुचामन।

31. निर्णय एवं दंडादेश आज दिनांक 09.04.2026 को लिखाया जाकर हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रूपेन्द्र चौहान)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मकराना जिला डीडवाना कुचामन।